

राजस्थान-सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/1643

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक : 21-12-2022

1. मगीदेवी पत्नी नरेश सारण  
जाति जाट निवासी मुढणों की ढाणी,  
उण्डु, तह. शिव (बाड़मेर)

1. मेहाराम पुत्र राजुराम वगैरा 33,  
जाति जाट निवासी डुगरोणियों की ढाणी  
सवाऊ पदमसिंह, तह. गिड़ा (बाड़मेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 22/2022

### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - डुगरोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह तहसील - गिड़ा जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 767/40 रकबा क्रमशः 3.1727 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

( मनोज )

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक 21-12-2022

क्रमांक : वाद/2022/1644-1648

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मगीदेवी पत्नी नरेश सारण
4. विप्रार्थी श्री मेहाराम पुत्र राजुराम वगैरा 33,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु